न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 145/2016

1 मुली देवी पत्नी रामनिवास।
2 गजानन्द पुत्र रामनिवास।
3 प्रहलाद पुत्र रामनिवास।
4 सुशीला देवी पुत्री रामनिवास।
5 सुनिता पुत्री रामनिवास समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर सीकर।
2 तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट विरूद्व
निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2016 बउनवानी मुली देवी
बनाम राज्य सरकार द्वारा श्री सत्यवीर यादव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर।

उपस्थिति :

1. श्री महेश कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–27.8.21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट संख्या 2 से 5 के पिता एवं अपीलांट संख्या 1 के पति को कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 1134 में से 10 बीघा पुख्ता भूमि के ग्राम गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना में से दिनाक 09.02.1968 को आंवटित हुई तथा आंवटी रामनिवास को उसी समय आंवटित भूमि का कब्जा सम्भला दिया। आवंटी रामनिवास ने आंवटन पत्र की नकल तत्कालीन हल्का पटवारी को गैर खातेदारी दर्ज करने हेतु दे दी परन्तु उन्होने गैर खातेदारी दर्ज नही की आंवटित की गई भूमि खसरा नम्बर 1134/1 की किस्म बारानी दर्ज थी। कालान्तर में राज्य सरकार द्वारा गोविन्दपुरा के कुछ हिस्से को नवसृर्जित ग्राम जस्सी का बास राजस्व ग्राम घोषित कर देने तथा भू–प्रबन्ध कार्यवाही के बाद विवादित भूमि खसरा नम्बर 1134 के नये खसरा नम्बर 521 रकबा 7.90 हैक्टेयर वाके ग्राम जस्सी का बास कायम किये गये उक्त खसरा नम्बर 521 में से 2.50 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट का पूर्वज रामनिवास आंवटन दिनांक 09.02.1968 से ताजिन्दगी लगातार काबिज आबाद चला आ रहा है। रामनिवास की मृत्यु के बाद अपीलांट उनकी फुट स्टेप कर काबिज आबाद है। अपीलांट के पूर्वज की अशिक्षा, गरीबी के कारण आंवटन का इन्द्राज रिकार्ड मे नही हा सका तद हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा का दावा संख्या 48/14 पेश किया जो जवाब दावे की स्टेज पर चल रहा था वर्ष 2016 में राज्य सरकार द्वारा चलाये गये न्याय आपके द्वारा अभियान में पत्रावली कैम्प चला में पेश हुई जिसमे तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट लेकर दावा वादीगण प्रमाणित नही होने से खारिज किया जाता है उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा दावा संख्या 48/14 में दिनांक 09.05.2016 को पारित आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 521 रकबा 7.90 हैक्टेयर के गत खसरा नम्बर 1134 रहे थे जिसकी किस्म सिवायचक बारानी द्वितीय आवंटन के दिन से आगामी 30 वर्षो तक रही थी। कालान्तर से अपीलांट हितबद्व व्यक्तियों को सुनवाई कर अवसर दिये बिना और सक्षम प्राधिकारी द्वारा किस्म चारागाह अंकित कर दी गई है तो अपीलांट को मामला समक्ष प्राधिकारी से किस्म परिवर्तन करवाने की हेतु प्रेषित करना चाहिये था या अपीलांट को समक्ष प्राधिकारियो के समक्ष किस्म परिवर्तन हेतु मामला प्रस्तुत करने की सलाह देनी चाहिये थी अधिनस्थ न्यायालय ने मामले मे सकारात्मक रूख नही अपना कर लोक अदालत में आंकड़े दिखाने के प्रयास के तहत वादी का वाद संख्या 48/14 प्रोमेच्योर स्टेज पर खारिज करने में भारी भूल की है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अपने पूर्वज रामनिवास को भूमि आंवटन के आधार पर खातेदारी की उदघोषणा का अनुतोष चाहा गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई विधिक साक्ष्य उपलब्ध नही है जिसके आधार पर अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त प्रमाणित होता हो।

यहां यह भी विचारणीय है कि आंवटी की मृत्यु हो चुकी है। विवादित भूमि आंवटी के नाम कभी भी गैर खातेदारी में दर्ज नही रही है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि चारागाह दर्ज है। चारागाह भूमि पर खातेदारी दिये जाने पर धारा 16 में प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक भूल नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.8.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर